



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 476/2004 धारा- 307 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0 कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 02 अभियुक्त 1.राजू उर्फ बलवान सिंह पुत्र रणधीर सिंह 2.इन्दल सिंह पुत्र रणधीर सिंह नि0गण मु0 इमिलिया थोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



ADGC श्री सुभाष कुमार  
श्रीवास्तव



विवेचक  
उ0नि0 आधा प्रसाद  
मिश्रा



पैरोकार थाना सुमेरपुर  
का0 जगत पटेल